भामाशाह योजना

पृष्ठभूमि एवं परिचय–

भारत कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इसीलिए देश के सभी राज्य वहाँ की भोगौलिक, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अलग–अलग प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं वहाँ के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए चलाते हैं। इन योजनाओं के कारण समय के साथ–साथ राज्य में जनता की जीवन शैली, खानपान, रहन–सहन, जीवन स्तर, दिनचर्या, सुविधाओं के उपभोग की प्रकृति, रोजगार स्तर, आय स्तर, गांवों और शहरों की बसावट इत्यादि में निरन्तर परिवर्तन एवं सुधार होता रहता है। इसके साथ–साथ इन योजनाओं से राज्य में जनसंख्या के व्यवसायिक वितरण, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत आपूर्ति, सड़क, बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार जैसे सेवा क्षेत्र में विकास एवं विस्तार होता है। इसीलिए केन्द्र एवँ राज्य सरकार भी इन क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान देती है, जिससे जनकल्याण में निरन्तर वृद्धि होती रहे और देश और राज्यों के आर्थिक विकास में तीव्र गति से विकास हो सके।

इन सब प्रयासों के बाद भी समाज का कोई तबका या वर्ग इन जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है या उसे इन योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इसका का एक कारण यह हो सकता है कि अन्य वर्गो के त्वरित गति से विकास कर जाने के कारण वह वर्ग दब जाता है या अन्य वर्ग उस वर्ग का भी हक छीनने का प्रयास करते है। इसीलिए समानता के साथ न्याय संगत विकास करने के उद्देश्य से समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकारें पूर्व से चल रही योजनाओं में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर उन्हें अधिक विस्तृत बना देती है या उनका स्वरूप सीमित कर दिया जाता है या वंचित वर्ग विशेष को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए या मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने के लिए या वर्ग विशेष के कल्याण में वृद्धि करने लिए नवीन कल्याणकारी योजना प्रारंभ करती है। इन योजनाओं में यह प्रयास किया जाता है कि बिना किसी व्यवधान एवं अवरोध के योजना के वास्तविक अधिकारिक लाभार्थी को योजना का पूरा लाभ मिले।

योजनाओं के अकुशल क्रियान्वयन, प्रशासनिक अनुभवहीनता, सामाजिक जागरूकता का अभाव, अत्यधिक कागजी कार्यवाही का होना समीपस्थ सेवा केन्द्र का नहीं होना, योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन में अत्यधिक खर्चा और अत्यधिक विलम्ब से लाभ प्राप्ति इत्यादि अनेंक कारणों से आम जनता में योजना के प्रति उदासीनता आ जाती है या योजना के पूर्ण लाभ से लाभार्थी वंचित हो जाता है।

इसीलिए पिछले दशक में राजस्थान सरकार ने योजनाओं को पारदर्शी, स्पष्ट, सीमित एवं न्यूनतम खर्च वाली कागजी कार्यवाही, आवेदन का सरल प्रारूप, शहरों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने की नीति को अपनाना शुरू किया है। इसके साथ–साथ वास्तविक एवं अधिकारिक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए, आवेदन के साथ–साथ सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर तुरंत लाभ दिलवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर ही शिविर के आयोजन प्रारंभ किया है जिसमें पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत समिति, तहसील कार्यालय प्रतिनिधि तथा आवश्यकता होने पर उपखण्ड स्तर के कार्यालय एवं बैंक प्रतिनिधियों की उपस्थिति को

सुनिश्चित किया जा रहा है तथा जिनका आधार कोई नहीं है, उनके आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था भी उन्हीं शिविर में सुनिश्चित की जा रही है।

इसीलिए योजनाओं में नामांकन के साथ प्रार्थी द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाएं और दस्तावेजों का सत्यापन शिविर में ही पटवारी, ग्राम सेवक और नामित अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा बैंक द्वारा बायोमैट्रिक विधि से प्रार्थी के वास्तविक एवं अधिकारिक लाभार्थी होने का सत्यापन कर लिया जाता है। इससे सरकार एवं लाभार्थी के बीच या योजना क्रियान्वित करने वाली संस्था या प्रशासनिक व्यवस्था तथा लाभार्थी के बीच सीधा संवाद होता है। योजना में स्पष्ट होता है कि लाभार्थी कौन होगा, आवेदन किस माध्यम से कैसे होगा, लाभ प्राप्ति का माध्यम और आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। इससे योजना का लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे सरकार द्वारा हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
विकास के ऊँचें सोपान छूने के बाद भी देश में, राज्य में, समाज में और परिवार में वह महिला जो हमारी सभी गतिविधियों का केन्द्र है, जो परिवार को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है वह आज भी आर्थिक असुरक्षा से त्रस्त है। वह आज भी परिवार में अपने विवेक से परिवार हित में कोई राय, सुझाव या निर्णय को परिवार में पुरूषों के समक्ष नहीं रख सकती है और न ही उस पर ध्यान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला आज भी उपेक्षित है, सशक्त नहीं है।

भामाशाह योजना, 2008 –

वर्ष 2008 में राजस्थान सरकार ने महिला को स्वांवलबी तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, महिला को परिवार में, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए तथा उसे अपने विवेक के अनुसार व्यय करने की स्वतंत्रता दिलवाने के लिए भामाशाह योजना शुरू की गई।

इस योजना में परिवार में महिला को प्रथम बार मुखिया बनाया गया तथा उस महिला मुखिया को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए, महिला मुखिया के नाम से ही बैंक में बचत खाता खोला जाना निश्चित किया गया है। उस खाते में भामाशाह योजना का लाभ सरकार द्वारा हस्तान्तरित करना निश्चित किया गया इस राशि का उपयोग महिला मुखिया द्वारा अपनी इच्छानुसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस खाते का उपयोग

सिर्फ महिला मुखिया द्वारा राशि जमा करवाने, राशि हस्तान्तरण और राशि के निकासी के लिए किया जाएगा। अन्य द्वारा छदम नाम से योजना का लाभ लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए तथा वास्तविक अधिकारिक लाभों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा जिसमें लाभार्थी के अगूंठे, अंगुलियों तथा आँखों की पुतलियों का प्रमाणित विवरण दर्ज रहता है। आधार कार्ड पर अंकित संख्या व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है। इसलिए योजना के वास्तविक अधिकारिक लाभार्थी की पहचान सरलता से आधार कार्ड द्वारा पहचान की जा सकती है। राज्य सरकार की सभी जनकल्याण योजनाओं को पारदर्शी बनाने में आधार कार्ड की भूमिका अहम होती है।

जिस परिवार में महिला मुखिया के पास आधार कार्ड नहीं है उन महिला मुखिया के भामाशाह नामांकन शिविर में आधार कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है। इसी शिविर में लाभार्थियों का बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रतिनिधियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है और ग्राम सेवक, पटवारी तथा जिलाधीश द्वारा नामित अधिकारी आवेदक को सूचनाओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन कर बिना किसी विलंब एवं अनावश्यक भागदौड़ के आवेदक को योजना से जोड़ते है।

वर्ष 2008 में प्रारम्भ भामाशाह योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को पंद्रह सौ रूपए प्रोत्साहन राशि उसके बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे खाते में जमा कराने का प्रावधान था। इस योजना में 50 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य था लेकिन 45.78 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया तथा 29.07 लाख परिवारों के बैंक में बचत खाते खोले गए तथा उन्हें बहुउद्देशीय भामाशाह कार्ड वितरित किए गए। भविष्य में नरेगा, पेंशन, अनुदान, स्वास्थ्य बीमा, बी.पी.एल कार्ड, छात्रवृत्ति इत्यादि योजनाओं को भामाशाह योजना से जोड़ने का प्रावधान है इसीलिए भविष्य में भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही यह सभी लाभ लाभार्थी को प्राप्त हो सकेंगे तथा पृथक–पृथक योजना के लिए पृथक–पृथक कार्ड रखने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। भामाशाह कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज होता है इसलिए यह कार्ड पहचान के साथ–साथ अधिकारिता को भी प्रमाणित करेगा।

भामाशाह योजना–2014 – भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की देश की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना (DBT) योजना है। आवश्यक सुधारों एवं संसाधनों के साथ विस्तृत रूप से देश के 68 वें स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान सरकार ने उदयपुर से इस योजना को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की। इस योजना में परिवार में 21 वर्ष की आयु या इससे अधिक आयु की महिला परिवार की मुखिया बनेगी और इसी महिला मुखिया का बैंक मेें बचत खाता सरकार के द्वारा भारतीय रिर्जव बैंक के निर्देशानुसार शून्य शेष (Zero Balance) पर खोला जाएगा। इस खाते का संचालन सिर्फ महिला मुखिया द्वारा ही किया जाएगा। जिस परिवार में महिला मुखिया 21 वर्ष से कम आयु की है उस स्थिति में पुरूष सदस्य तभी तक परिवार का मुखिया रहेगा जब तक वह महिला 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है।

भामाशाह योजना में नामांकन के लिए आवेदक के पास स्वयं की पहचान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज एवं .आवास की पुष्टि करने वाला दस्तावेज होना चाहिए। आवेदक की पहचान तथा आवास की पुष्टि करने के लिए निम्न दस्तावेज हो सकते हैः–

1. राशन कार्ड
2. मतदाता कार्ड
3. नरेगा जॉब कार्ड
4. पैन कार्ड

5. बी.पी.एल कार्ड
6. पैन कार्ड
7. आधार कार्ड
8. पास–पोर्ट
9. पानी, बिजली, टेलीफोन बिल
10. ड्राईविंग लाईसेंस
11. फाटो युक्त बैंक की पास बुक

भामाशाह योजना में परिवार के सभी सदस्यों का नाम नामांकित किया जाता है इसलिए नामांकन के समय सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को पारिवारिक समूह में नामांकित कर एक भामाशाह कार्ड जो बहुउद्देशीय होगा, जारी करना है। नामांकन के वक्त आवेदक के पास कोर बैकिंग समर्थित किसी भी बैंक में स्वयं के नाम का बचत खाता होना आवश्यक है। अगर किसी आवेदक के पास कोर बैकिंग समर्थित बैंक का बचत खाता नहीं है तो नामांकन शिविर में उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों द्वारा बचत खाता खोला जाएगा, जिसमें कोई भी राशि जमा करवाने की बाध्यता आवेदक के लिए नहीं होगी क्योंकि वह खाता शून्य शेष (Zero Balance) खाता होता है। अगर कोई अव्यस्क भी राज्य सरकार की किसी भी योजना का नगद या गैर नगद लाभ प्राप्त करने हेतु भामाशाह योजना में नामांकन करवाना चाहता है तो उसे भी बैकं में बचत खाता परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के साथ संयुक्त रूप से खुलवाना होगा क्योंकि नियमानुसार बैंक अव्यस्क के नाम किसी भी प्रकार का कोई खाता नहीं खोल सकते है।

भामाशाह योजना की आवश्यकता

1. वित्तीय समावेशन की आवश्यकता – राज्य मे अधिकांश परिवारों के बैंक खाते नहीं खुले हुए थे, जिससे वे अधिकांश वित्तीय लाभ/सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, ऋण आदि) लेने में असमर्थ थे। अतः राज्य के नागरिकों का वित्तीय समावेशन एक महती आवश्यकता थी।
2. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता – महिलाओं के नाम पर बैंक खातों का सामान्यतः अभाव था, इससे पारिवारिक निर्णयों एवं खर्चों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं हो पाती थी, उसका स्तर परिवार में गौण था।
3. समान डेटा बेस की आवश्यकता – विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार सर्वे करवाया जाता था, जिससे बडे स्तर पर भिन्न–भिन्न विभागों द्वारा किसी परिवार/व्यक्ति की लगभग समान सूचनाएं बार–बार एकत्रित की जाती थी। कई बार एक ही परिवार/व्यक्ति की सूचनाओं में असमानता भी पायी जाती थी। जिससे समय, धन व श्रम की बर्बादी होती थी। इस हेतु राज्य के नागरिकों के एक समान डेटा बेस की आवश्यकता थी।
4. संसाधनों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता – विभिन्न योजनाओं के लाभ/सेवाएं भिन्न–भिन्न प्रक्रिया से लाभार्थियों को प्रदान की जाती थी, जिससे सरकारी धन व संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता था।
5. परिवार पहचान की आवश्यकता – भामाशाह योजना से पूर्व राज्य के निवासियों के पास परिवार का कोई पहचान संबंधी कार्ड/दस्तावेज नहीं था, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की फोटो सहित अन्य सूचनाऐं दर्ज हो।
6. घर के नजदीक सेवाओं की आवश्यकता – राज्य में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का तीव्र गति से विकास नहीं हो पा रहा था।

7. वास्तविक हकदार को लाभ प्रदान करने की आवश्यकता – किसी भी योजना का लाभ वास्तविक हकदार व्यक्ति को ही पूरा व पारदर्शी रूप से प्राप्त होना आवश्यक है। अतः एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जो इस लक्ष्य के साथ–साथ उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति भी कर सके।

भामाशाह नामांकन हेतु पात्रता

राजस्थान राज्य का प्रत्येक नागरिक परिवार भामाशाह नामांकन करवा सकता है।

परिवार का मुखिया

1. भामाशाह नामांकन हेतु परिवार को 21 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया के रूप में नामांकित करवाना होता है।
2. यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है, तो पुरूष मुखिया हो सकता है।
3.यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति परिवार के मुखिया के रूप में नामांकित किया जाता है।

भामाशाह नामांकन की प्रक्रिया

भामाशाह नामांकन दो प्रकार से किया जाता है :–
1. ऑफलाईन नामांकन
2. ऑनलाईन नामांकन

ऑफलाईन नामांकन – राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तथा शहरी वार्डों में 2 से 5 दिवस के भामाशाह नामांकन शिविरों का आयोजन किया गया था। इन शिविरों के उपरान्त ऐसे क्षेत्र जहां नामांकन कम हुआ था वहां स्थानीय प्रशासन द्वारा फॉलोअप शिविरों का भी आयोजन किया गया था। इन शिविरों में नामांकन तथा बैंक खाते खोलने का कार्य किया गया था।

अब शिविरों का आयोजन नहीं किया जाकर केवल ऑनलाईन नामांकन किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के सभी ई–मित्रों केन्द्रों को भामाशाह नामांकन हेतु स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया जा चुका है। अतः आम नागरिक घर के नजदीक ई–मित्र पर कभी भी नामांकन करवा सकता है।

ऑनलाईन नामांकन –

1. कोई भी नागरिक भामाशाह योजना की वेबसाईट www.bhamashah.rajasthan.gov.in पर भी स्वयं भामाशाह नामांकन कर सकता है।
2. राज्य के सभी ई–मित्र केन्द्रों/अटल सेवा केन्द्रों पर भी ऑनलाईन भामाशाह नामांकन सुविधा उपलब्ध है।
3. चूंकि भामाशाह नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। अतः ऑनलाईन नामांकन सुविधा भी सतत उपलब्ध है।

भामाशाह नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज –

1. परिवार के सभी सदस्यों के अलग–अलग फोटो
2. परिवार के मुखिया के कोर बैंक समर्थ बैंक खाते की प्रति
3. परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य का आधार प्रपत्र में उल्लेखित जानकारी से संबंधित दस्तावेज हैं जैसे –

i. बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन बिल की प्रति,
ii. मतदाता पहचान, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की प्रति,
iii. मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की प्रति
iv. परिवार के सदस्यों की बैंक पास बुक, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति।
v. किसी भी राजकीय योजना जिससे परिवार लाभान्वित हो रहा है/होगा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड इत्यादि के दस्तावेज की प्रति।

भामाशाह नामांकन/कार्ड में संशोधन/अद्यतन हेतु शुल्क

राज्य सरकार द्वारा सभी नागरिकों का एक बार निःशुल्क नामांकन किया जा रहा है। भामाशाह कार्ड बनने के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन करवाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होता है।

चूंकि भामाशाह नामांकन एक सतत प्रक्रिया है अतः राज्य के समस्त ई–मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है। यदि किसी नामांकित परिवार को भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन करवाना हो तो नजदीकी

ई–मित्र पर संशोधन करवाया जा सकता है।

भामाशाह नामांकन में दर्ज की जाने वाली सूचना

सभी सरकारी लाभ सीधे, शीघ्र व पारदर्शी रूप से लाभार्थी को प्राप्त हो तथा किसी भी लाभ को प्रदान करने के लिए बार–बार लाभार्थी से दस्तावेज नहीं लेने पड़े, इसके लिए लाभार्थी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित विभिन्न दस्तावेज की प्रति ली जाती है।

परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित सूचनाऐं –

1. आधार पहचान संबंधी सूचनाऐं – नाम, जन्म, लिंग, पता और बायोमैट्रिक निशान की तिथि, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण।
2. बुनियादी जनसांख्यिकीय संबंधी सूचनाऐं – वैवाहिक स्थिति, आय, अल्पसंख्यकता, वर्ग, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, परिवार पहचान, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, बैंक खाता इत्यादि।

भामाशाह कार्ड

1. प्रत्येक परिवार के 7 अक्षरों की यूनिक आई.डी. सहित भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है।
2. राज्य सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड को परिवार/सदस्य की पहचान व पते का कार्ड घोषित किया जा चुका है।
3. भामाशाह कार्ड परिवार को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकित परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड चाहता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जाता है।
4. प्रारम्भ में प्रत्येक नामांकित परिवार को निःशुल्क भामाशाह परिवार कार्ड संबंधित ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे, नागारिकों को स्थायी वितरण केन्द्र घोषित किया गया है। नागरिक अपने नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर अपना भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है।
5. नामांकित परिवार भामाशाह पोर्टल से भामाशाह कार्ड जारी होने की स्थिति ज्ञात कर सकता है तथा ई–भामाशाह परिवार/व्यक्तिगत कार्ड का प्रिन्ट भी ले सकता है।

भामाशाह कार्ड के प्रकार व नमूना

परिवार का कार्ड – प्रत्येक परिवार को एक कार्ड निःशुल्क दिया जाता है, जिसमें एक ओर महिला मुखिया का फोटो, जन्म दिनांक, उसका बैंक खाता, आधार संख्या, घर का पता, दूसरी ओर सभी सदस्यों के फोटो, जन्म दिनांक, आधार संख्या इत्यादि सूचनाएं होती है।

व्यक्तिगत कार्ड – नामांकित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर व्यक्तिगत कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति की जानकारी यथा फोटो, जन्म दिनांक, उसका बैंक खाता, आधार संख्या, घर का पता, किसी योजना का लाभार्थी हो तो उससे संबंधित सूचना अंकित होती है।

ई–भामाशाह कार्ड – नामांकित परिवार ई–भामाशाह कार्ड भी भामाशाह वेबसाईट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है। उसमें भी भामाशाह कार्ड की समस्त सूचनाएं अंकित होती है।

भामाशाह योजना के लाभ – राजस्थान सरकार द्वारा योजना के वास्तविक अधिकारिक लाभार्थी को लाभ दिलवाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण सेवा केन्द्र (अटल सेवा केन्द्र), ई–मित्र केन्द्र, बैंक शाखा तथा शहरो में वार्ड स्तर पर नामांकन शिविरों का आयोजन कर समीपस्थ सेवा केन्द्र पर सेवा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। सेवा का लाभ 3 से 5 कि.मी के दायरे में दिलवाना सुनिश्चित किया गया है। भामाशाह नामांकन के निम्न लाभ होगें :–

1. आधार नामांकन होगा जिसमें भविष्य में सरकारी लाभों के प्राप्त करने के सत्यापन में प्रयोग होगा।
2. भामाशाह नामांकन के द्वारा निवासी एवं उसका समस्त परिवार प्रदेश की समस्त जनकल्याण योजनाओं से पात्रता रखने पर स्वतः ही जुड जाएगा।
3. प्रत्येक निवासी का बैंक बचत खाता खोला जाएगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निवासी के बचत खाते में लाभ सीधे हस्तान्तरित करने के लिए नामांकित कर लिया जाएगा।
5. बचत खाते में निकासी एवं जमा की सुविधा।
6. सरकार की गैर नगद वाली योजनाओं का लाभ भी बचत खाते में सीधे हस्तान्तरित होता है।

सितम्बर, 2015 तक कुल 95 लाख लाभार्थी परिवारों में से 90 लाख परिवारों का भामाशाह योजना में नामांकन हो चुका है। इस योजना के प्रथम चरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, जननी सुरक्षा योजना भुगतान तथा सरकारी राशन की दुकानों से राशन वितरण को भामाशाह प्लेटफार्म को जोड़ा जा चुका है। इस प्लेटफार्म से नगद लाभ हस्तान्तरण शुरू किया जा चुका है तथा 15 लाख लाभ हस्तान्तरण लाभार्थियों के बचत खाते में किये जा चुके हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना को भी भामाशाह से जोड़कर इसका नाम भामाशाह स्थान्तरण बीमा योजना कर दिया गया है। और इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के बजट 2014–15 में कर दी गई है। राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अन्तर्गत पात्र सभी परिवारों को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। यह उपचार अन्तरंग इलाज हेतु निशुल्क उपलब्ध होगी। इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड धारक को मिलेगा लेकिन कार्ड नहीं होने की स्थिति में उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) से संबंधित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी योजना का लाभ देय होगा। भामाशाह कार्ड धारक को सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार रू. 30,000/– तथा चिह्नित गम्भीर बीमारियों के लिए तीन लाख रूपये तक का बीमा होगा। ऐसे परिवार को बहिरंग रोगी के रूप में निशुल्क दवाएँ तथा निशुल्क जाँच की सुविधा मिलती रहेगी। इस योजना का एक लाभ राज्य को यह भी मिलेगा की अन्य राज्य से आने वाले रोगियों की निशुल्क जांच व निशुल्क दवा के व्यय का भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कौशल विकास एवं रोजगार अवसर में वृद्धि करने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्र की ''मुद्रा योजना'' के साथ भामाशाह योजना को जोड़कर ''भामाशाह रोजगार सृजन योजना'' प्रारम्भ की है। इस योजना के द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार प्राप्त करने तथा स्व

रोजगार शुरू करने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे उनके कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च शिक्षा तथा तकनीति शिक्षा तथा विभिन्न प्रकार के विकलांगों को मिलने वाली सभी प्रकार छात्रवृत्ति भी भामाशाह प्लेटफार्म से जोड़ी गई है। इस प्रकार राज्य सरकार की नगद एवं गैर नगद लाभ प्रदान करने वाली सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न चरणों में भामाशाह प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा। इससे पूरे राजस्थान में भामाशाह योजना के माध्यम से सभी प्रकार के लाभार्थियों को जोड़ा जा सके और सभी लाभार्थी परिवार के एक–एक सदस्य का प्रमाणिक डेटाबेस तैयार किया जा सके। जिसे भामाशाह डेटा हब कहा जायेगा।

भामाशाह डेटा हब की उपयोगिता – भामाशाह डेटा हब में प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों की प्रमाणिक सूचना होने के कारण किसी भी योजना में उस परिवार की पात्रता होने पर वह परिवार स्वतः उस योजना से जुड़ जायेगा और योजना से जुड़ने के लिए उसे बार–बार पहचान प्रमाणित करवाने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी। भामाशाह कार्ड सभी योजना के लाभ प्राप्ति का माध्यम होगा। भामाशाह डेटा हब विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होगा तथा राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने वाली होगी। यह डेटा हब श्रम शक्ति नियोजन नीति निर्माण में, योजनाओं के लाभ का दुरूपयोग रोकने, अपराधियों की पहचान करने तथा अपराध नियंत्रण में उपयोगी होगा। भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड भी जनता में अधिक उपयोगी साबित होगा क्योंकि आधार कार्ड व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है जबकि भामाशाह कार्ड लाभार्थी की पहचान के साथ उसे अधिकारिक लाभार्थी भी प्रमाणित करता है। भामाशाह कार्ड केन्द्र सरकार की ''डिजिटल इण्डिया'' कार्यक्रम की दिशा में सार्थक प्रयास है।

भामाशाह वेबसाईट एवं मोबाईल एप

1. भामाशाह योजना के माध्यम से सभी विभागों की योजनाओं के नकद व गैर–नकद लाभ प्राप्त करने के लिए भामाशाह वेबसाईट www.bhamshah.rajasthan.gov.in बनायी गई है।
2. इस वेबसाईट पर योजना की विस्तृत जानकारी, नवीनतम प्रगति तथा ऑनलाईन नामांकन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है।
3. वेबसाईट पर नामांकित परिवार अपने भामाशाह कार्ड मुद्रण की स्थिति भी ज्ञात कर सकता है।
4. वेबसाईट पर नामांकित परिवार अपने परिवार/सदस्य का ई–भामाशाह कार्ड भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।
5. आम नागरिक को भामाशाह योजना के माध्यम से दिए जा रहे लाभ व अन्य नामांकन संबंधी जानकारी मोबाईल पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भामाशाह मोबाईल एप भी बनाया गया है। इस गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स अवार्ड

भारत सरकार द्वारा भामाशाह योजना की विशेष उपलब्धियों के लिए वर्ष 2015–16 का वित्तीय समायोजन क्षेत्र में राष्ट्रीय ई'–गवर्नेन्स का स्वर्ण पुरस्कार राजस्थान सरकार को प्रदान किया गया है।

राजस्थान सरकार के अधिकारीगण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस से राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

अभ्यास

1. भामाशाह कार्ड का अवलोकन कर इससे जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. आधार कार्ड का अवलोकन कर आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया से अवगत होना।
3. भामाशाह योजना में स्वयं का, मित्रों का, परिवार के सदस्यों इत्यादि का नामांकन हेतु जानकारी जुटाना।
4. समीपस्थ बैंक शाखा, ई–मित्र केन्द्र, भारत निर्माण सेवा केन्द्र (आल सेवा केन्द्र), ग्राम सेवक तथा पटवार कार्यालय जाकर भामाशाह कार्ड से प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करना।
5. पहचान का कोई दस्तावेज नष्ट, क्षतिग्रस्त या खो जाने पर प्रतिकृति दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना।
6. उपरोक्त सभी अभ्यास कार्यो की जानकारी एकत्र कर लिखित में एक प्रति विद्यालय में रखवाना जिसका अवलोकन विद्यार्थियों द्वारा किया जा सके।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भामाशाह योजना 2008 में सरकार द्वारा बैंक में महिला मुखिया के नाम बचत खाता खुलवाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती थी।

(अ) कोई राशि नहीं (ब) 500 रुपये
(स) 250 रुपये (द) 1500 रुपये

2. ग्रामीण क्षेत्र में भामाशाह योजना की सेवा कहां उपलब्ध होगी।

(अ) पंचायत भवन (ब) पंचायत समिति कार्यालय
(स) भारत निर्माण सेवा केन्द्र (द) संरपंच द्वारा

3. आधार कार्ड द्वारा व्यक्ति को क्या सुविधा मिलती है?

(अ) केरोसीन (ब) रसोई गैस
(स) पेंशन (द) विशिष्ट पहचान

4. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य बीमारी के लिए कितनी राशि का बीमा है?

(अ) 3,000 रुपये (ब) 30,000 रुपये
(स) 300 रुपये (द) 3,00,000 रुपये

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न :—

1. भामाशाह योजना में खाता खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी थी?
2. भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया किसे बनाया गया?
3. देश की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का नाम क्या है?
4. भामाशाह प्लेटफार्म क्या है?
5. भामाशाह नामांकन में आवेदक की जानकारी का सत्यापन कौन करेगा?
6. परिवार के मुखिया का बचत खाता कौन से शाखा में होना चाहिए?

लघूत्तरात्मक प्रश्न :—

1. भामाशाह योजना 2014 की प्रमुख विशेषता क्या है?
2. अवयस्क मुखिया की स्थिति में परिवार का मुखिया कौन होगा?
3. भामाशाह कार्ड बहुउद्देशीय कार्ड किस प्रकार है?
4. भामाशाह सेवा केन्द्र ग्रामों में तथा शहरों में कहां उपलब्ध होगी?
5. भामाशाह डेटा हब क्या है?

निबन्धात्मक प्रश्न :—

1. भामाशाह योजना 2014 में लाभार्थी कौन—कौन हो सकते हैं, उनका नामांकन किस प्रकार होगा तथा लाभ प्राप्ति का माध्यम क्या होगा?
2. राज्य में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से सभी को क्यों नहीं मिला या कुछ वर्ग लाभ से वंचित क्यों रह गए?इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?
3. भामाशाह योजना में नामांकन करवाने के लिए कौन—कौन से दस्तावेज हाने चाहिए और नामांकन के क्या लाभ होंगे ?
4. भामाशाह योजना से मिलने वाले लाभों को विस्तार से बताइये।

उत्तर :— 1. (द) , 2. (स) 3. (द) 4. (ब)